,dy ukjh dh vkokt

vad % 26] ekg % tqykbZ] o"kZ % 2011] futh iz;kstu gsrq

tc vk/kk Hkkjr ukjh gS] fQj D;kas ukjh cspkjh gS\

राजस्थान में धूमधाम से मनाया गया ''1 जून महिला सशक्तिकरण दिवस''

कोटा में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उप जिला प्रमुख रेखा शर्मा

Mwxjiqj ftys ds vkliqj Cykd esa rglhnkj dks Kkiu nsrs gq, laxBu dh lnL;k,a

''tc vk/kk Hkkjr ukjh gS rks fQj D;ksa ukjh cspkjh gS''

हम सभी जानते हैं कि नारी यानि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण वर्ग है, जिनको कमजोर बनाने के लिए समाज के कुछ लोग वर्षों से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। महिलाओं को वे प्राचीन रूढ़ियों में बांधने का प्रयास करते आ रहे हैं। जैसे विधवा होने पर सफेद साड़ी पहनना, चूड़ियां न पहनना, मेहन्दी व बिन्दी न लगाना, अकेले घर से बाहर जाने पर गलत आरोप लगाना। मतलब महिलाओं को कमजोर बनाने के पूरे प्रयास किये जाते हैं, लेकिन महिलाऐं कमजोर नहीं है। महिलाओं ने समय–समय पर समाज के ऐसे लोगों को दिखाया है कि वे किसी भी जगह पर पुरू ों से कम नहीं है। इसलिए महिलाओं की सामूहिक ाक्ति के प्रदर्शन के लिए संगठन द्वारा 1 जून महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल एकल नारी ाक्ति संगठन के द्वारा 1 जून 2003 में की गई थी। तभी से पिछले 8 व ों से यह दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है।

पिछली बार की तरह इस बार भी 1 जून महिला सशक्तिकरण दिवस संगठन की बहनों व अन्य संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। यह दिवस राजस्थान के 30 जिलों के 122 ब्लॉकों में धूमधाम से मनाया गया।

''महिला सशक्तिकरण दिवस'' के नाम से मनाये जाने वाले इस दिवस के अवसर पर संबोधनकर्ता के रूप में संगठन पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियो, जिला प्रमुख, महिला सरपंचों, महिला वार्ड पंच व संगठन की सशक्त महिलाओं ने महिला मुद्दो के साथ अपनी बात को मजबूती से रखा।

''बन जा बहना झांसी रानी खत्म करो यह जुल्म कहानी'', ''नारी शक्ति जिन्दाबाद'', ''जब आधा भारत नारी है तो क्यों फिर नारी बेचारी है'' ''एकल नारी ाक्ति संगठन जिन्दाबाद! जिन्दाबाद!'', ''हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी हैं'' इस प्रकार के जोश भरे नारों व गीत ''राज चोरां को जमानों आयो रिश्वतखोरां को'' के साथ संगठन की सदस्यों ने कोटा एवं उदयपुर कलस्टर में 1 जून सशक्तिकरण दिवस मनाते हुए सभाऐं आयोजित की व रैली निकालकर अपनी मुख्य समस्याओं का ज्ञापन दिया।

उदयपुर कलस्टर के 5 जिलों जैसे बांसवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, प्रतापगढ़, जालौर में जिला स्तर पर रैली का आयोजन किया गया।

महिलाऐं जिला मुख्यालय पर पहुंची व जोशीले गीत व नारों के साथ जिला कलेक्टर व एसडीओ को ज्ञापन दिया। कोटा कलस्टर के झालावाड़, बारां, अलवर, भीलवाड़ा, करौली, भरतपुर, जिलों में रैली निकाली गई व ज्ञापन दिया गया।

कोटा जिले में महिला शक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में सभा आयोजित की गई व

–शेष पृष्ठ : 2 पर

संस्थान द्वारा संचालित
महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का शुभारम्भ

एकल नारी शक्ति संस्थान द्वारा संचालित महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र का शुभारम्भ दिनांक 1 अप्रेल 2011 को महिला पुलिस थाना, सूरजपोल, झालाहाऊस में किया गया। शुभारम्भ के समय संस्थान के पदाधिकारी, संगठन, कार्यकर्ता व आम–जन के साथ–साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए। मंच पर उपस्थित एकल नारी शक्ति संगठन की कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती जिनी श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि ए0एस0पी0 श्री हनुमान प्रसाद मीणा का अभिवादन किया व महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के बारे में उद्बोधन दिया।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का फीता काट कर उद्घाटन करते ए0एस0पी0 श्री हनुमान प्रसाद मीणा

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का उद्घाटन ए0एस0पी0 श्री हनुमान प्रसाद मीणा ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के अवसर पर शहर के स्वयं सेवी संस्थान के पदाधिकारियों व शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अपने–अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर एकल नारी शक्ति संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती मीरां पालीवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती कमल पथिक, उपाध्यक्ष

–शेष पृष्ठ : 4 पर

एकल नारी की आवाज़ 2

संगठन की मदद से बेटे ने दिया मां को गुजारा भत्ता
संगठन चाहता हैं कि महिलाएं अपनी ताकत
को स्वयं पहचान कर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें
और अपनी समस्याओं से मुकाबला करे। यदि
इस कार्य में महिला को संगठन की आवश्यकता
होती है तो संगठन उनकी सहायता के लिए
हमेशा तैयार है।
संगठन की इसी सोच को लेकर संगठन
सदस्य दुखी महिलाओं की मदद तो करते ही है साथ ही उनकी सोई हुई शक्ति को भी जगाते हैं ताकी वे महिलाऐं जो अपने आप
को कमजोर मानती है वे स्वयं अपनी शक्ति
व जोश के बल पर अपनी समस्याओं का

उम्मेद पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक ढोल की थाप व आतिशबाजी के साथ रैली निकाली गई।
जिसमें लाडपुरा व कोटा शहर से काफी
संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली का उद्घाटन उप जिला प्रमुख रेखा शर्मा द्वारा हरी झण्डी दिखा कर किया गया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख ने कहा कि सरकार को महिलाओं को सशक्त करने के लिए और प्रभावी योजनाऐं बनाने की आवश्यकता है। महिलाऐं वर्तमान में कही पर भी सुरक्षित नहीं हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार व प्रशासन को मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही संगठन की कार्यक्रम समन्वयक चन्द्रकला शर्मा ने बताया कि महिलाऐं शक्ति का रूप है और हनुमान जी की शक्ति की तरह महिलाओं की शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। महिलाऐं किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार व शोषण को सहन नहीं करना चाहिए उसका विरोध कर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। संगठन की राज्य स्तरीय कमेटी सदस्य शिमला गौतम ने कहा कि महिला जब अपने उपर हो रहे अत्याचार शोषण की रिपोर्ट लिखवाने थाने

पहुंचे तो थाने वालों को महिला मुद्दे पर संवेदनशील होकर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।
इसके बाद महिलाओं की मुख्य समस्याऐं

जैसे बीपीएल सूची में गरीब, विधवा व एकल महिलाओं को जोड़ा जाये, विधवा, वृद्धावस्था व परित्यकता पेंशन के आवेदन पत्रों का तुरन्त निस्तारण हो व समस्या समाधान हेतु एक समस्या समाधान केन्द्र बनाया जाये, साथ ही बहनों को मिलने वाली पेंशन को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाये। इसके अलावा शहर की मुख्य समस्याऐं जैसे शहर में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों जैसे लूट, हत्या, बलात्कार व शोषण के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा उचित प्रक्रिया द्वारा समाधान हो।
उक्त सभी समस्याओं व तीन मुख्य समस्याऐं
लिखा हुआ एक ज्ञापन जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी श्रीमती आराधना सक्सेना को दिया गया।
इस दिन अन्य ब्लॉकों में रैली निकाली गई
व बैठकें आयोजित करके ज्ञापन बीडीओ, तहसीलदार, सरपंच व प्रधान को दिया व अपनी मांगों को बताया। कुछ जगह पंचायत स्तर पर रैली निकाल कर 3 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। 1 जून के अवसर पर तैयार किये गये ज्ञापन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी:-
1. पेंशन राशि 500 से 1000 होनी चाहिए।
2. सभी एकल महिलाओं का नाम बीपीएल
सूची में जोड़ा जाये।
3. विधवा, वृद्धा महिलाओं को पेंशन 25
वर्ष का बेटा होने के बाद भी दी जाये।

पृष्ठ-1 का शेष ... धूमधाम से मनाया महिला सशक्तिकरण...

संगठन ने चमकाई

मेरी किस्मत
छोटी बाई पंचायत समिति पर्वतसर, ग्राम
पंचायत कुण्डरी, जिला नागौर की रहने वाली है। इनके ससुराल में ससुर के नाम केवल 2.5 बीघा जमीन ही थी। एक बार संगठन की सदस्या पाना बाई किसी काम के लिए गुन्दी बाई की जमीन की नकल निकलवाने पटवारी के पास गई। पाना बाई व छोटी बाई की

जमीन पास-पास है। नकल निकालते समय पटवारी ने पूछा की तुम्हारे गांव में छोटी बाई कौन है?
पाना बाई ने कहा की मैं छोटी बाई को
जानती हूॅ। तब पटवारी ने बताया कि छोटी बाई के नाम करीब 15 बीघा जमीन है। यह बात गांव में आने पर पाना बाई ने छोटी बाई को बतायी। इस पर छोटी बाई ने कहा की हमारे पास तो केवल 2.5 बीघा ही जमीन है। इतनी सारी जमीन की जानकारी तो मेरे ससुर जी को भी नहीं थी। फिर छोटी बाई गांव में होने वाली ग्राम सभा में गई और वहां पटवारी के सामने बात उठाई तो पता चला की छोटी बाई की यह 15 बीघा जमीन इनके ही पड़ौसियों ने दबा रखी थी। सारी बात का खुलासा होने के बाद छोटी बाई ने कहा की मुझे अपनी पूरी जमीन चाहिए । इस पर ग्राम सभा में उपस्थित गांव वालों ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि छोटी बाई को इसकी पूरी जमीन मिलनी चाहिए।
इस पर छोटी बाई ने तहसीलदार को एक
प्रार्थना पत्र लिख कर दिया और फिर वार्ड पंच, सरपंच व पटवारी ने मिलकर उसकी 15 बीघा जमीन की नपवाई करवाई। इस प्रकार छोटी बाई को वह जमीन संगठन के माध्यम से मिली जिसकी उसको आस भी नहीं थी। छोटी बाई बार-बार संगठन को धन्यवाद दे रही थी और कह रही थी ‘‘संगठन की मदद से मेरी किस्मत चमक गई‘‘

समाधान पा सके। ऐसी ही एक महिला है बसन्ती बाई। बसन्ती बाई पत्नि कल्याण जी पुष्कर जिला की रहने वाली है। बसन्ती ने संगठन की हर माह आयोजित होने वाली ब्लॉक कमेटी की मासिक बैठक में बताया कि मेरे साथ मेरे बेटा व बहू ने मारपीट कर मेरे जेवर भी ले लिये और मुझे घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसके बाद थाने में गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बसन्ती ने कहा कि या तो मेरी मदद करो नहीं तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाउंगी। सभी बहनों ने कहा कि घबराओ मत, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अब संगठन तुम्हारे साथ हैं।
इस पर सभी बहनों ने मिलकर निर्णय
लिया कि मोहनी बाई को फोन कर सारी बात बतानी चाहिए, फिर आगे की कार्यवाही करते हैं। इस पर संगठन की सदस्य मोहनी बाई को फोन किया गया। इस पर मोहनी बाई पुष्कर पहुंची और वहां जाकर बहनों को इकट्टा किया फिर गांव में जाकर गांव वालों से पूछताछ की गई व इसके बाद थाने गये। वहां थानेदार ने बताया कि हम तो अपराधी

को बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोहनी बाई, कमला बाई व बसन्ती बाई आप अजमेर कोर्ट में जाओं वहां जाकर केस करो। इस पर संगठन सदस्य बसन्ती बाई को लेकर अजमेर पहंुचे। वहां वकील साहब से मिले। इस पर वकील साहब ने कहा कि मैं दावा कर के तुम्हे खर्चा दिलवा दूंगा। उसने कहा की तुम्हारा बेटा खर्चा भी देगा और माफी भी मांगेगा।
इस पर कोर्ट में केस कर दिया गया। केस
को चले कुछ ही दिन हुए थे कि बसन्ती का बेटा डर गया और मां बसन्ती बाई से बात करते हुए बोला की मां मुझे माफ कर दो और केस वापस ले लो। जो तुम्हारे संगठन की बहनें कहेंगी मैं वो ही करूंगा। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ना तो गाली दूंगा और ना ही मारपीट करूंगा। उसने संगठन की बहनों से भी माफी मांगी और खर्चा देने के लिए भी तैयार हो गया। इस तरह बसन्ती बाई को संगठन की बहनों की मदद से शारिरिक, मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति दिलवाई व एक टूटे हुए परिवार को वापस जोड़ने का कार्य भी किया।

xjhch j[kk lo 2011 grq Hkkjr ljdkj }kjk iLrkfor ifØ;k

jkT; e ch0ih0,y0 ifjokjk dh fy, lo 1 uoEcj l 15 fnlEcj 2011 rd dh chp iLrkfor gA bl vo/kh e ch0ih0,y0 lph e vkus okys o ifjokj tks xjhch j[kk l uhp thou ;kiu dj jg g mud fy, ,d lo gkxkA bl dh fy, fuEu pj.kk e lo fd;k tk;xk&

dk;i.kkyh

परिवारों का वर्गीकरण तीन चरणों में किया जाएगा।

1- igyk pj.k % ऐसे परिवार जो गरीब नहीं हैं उनका स्वतः बहि करण यानी वे अपने आप गरीबी रेखा सूची से बाहर हो जाएंगे।

2- nljk pj.k % अनिवार्य रूप से गरीबी रेखा सूची में ामिल किया जाना।

3- rhljk pj.k % ो ा बचे हुए परिवारों की रैंकिंग अभाव सूचकों की संख्या के आधार पर की जाएगी और इनमें से गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा।

1- Lor% cfg"dj.k ¼tks ifjokj viu vki xjhch j[kk lph l ckgj gkxs½

जिन परिवारों के पास निम्नलिखित में से कोई भी प्रकार की संपत्ति है तो वह परिवार अपने आप गरीबी रेखा सूची से बाहर हो जाएगा।

1. ऐसे परिवार जिनके पास दो, तीन या चार पहिया मोटर चालित वाहन (मोटर साइकल, ऑटो रिक्शा, जीप, कार, आदि) या मोटर चलित मछली पकड़ने की नाव है। यानी ऐसे वाहन जिनके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की जरूरत होती है।

2. ऐसे परिवार जिनके पास तीन या चार पहिया यंत्रचालित उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हारवेस्टर आदि में से कोई एक उपकरण हैं।

3. ऐसे परिवार जिनके पास 50,000 या अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड है।

4. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। वह राजपत्रित या अराजपत्रित या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी या स्थानीय निकाय में कर्मचारी है। ikR=kgu ;k vU; fdlh idkj dh ekun; ij dk;Z djus okys depkjh tks vk'kk] vkxuokMh dehZ bl e 'kkfey ugh gA

5. ऐसा परिवार जिसके पास सरकार द्वारा पंजीकृत कोई उद्यम या जिसके पास केन्द्र या राज्य सरकार से पंजीकृत गैर कृि ा उद्यम है।

6. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य की आमदनी 10000 रूपए प्रतिमाह से अधिक है।

7. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य आयकर (इन्कम टैक्स) या वृत्ति कर (प्रोफेशनल टैक्स) जमा करता है।

8. ऐसे परिवार जिनके पास 3 या अधिक कमरे का पक्की दीवारों और पक्की छत वाला मकान है।

9. ऐसा परिवार जिसके पास फ्रिज (रेफ्रिजरेटर) है।

10. ऐसा परिवार जिसके पास लैण्डलाइन फोन है।

11. ऐसा परिवार जिसके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन और de l de ,d flpkbZ midj.k tSl Mhty bUtu या बिजली से चलने वाली मोटर या बोरवैल/ ट्यूब वैल है।

12. ऐसा परिवार जिसके पास पांच एकड़ या अधिक सिंचित जमीन है और वह व र्ा में 2 या अधिक फसलें लेता है।

13. ऐसा परिवार जिसके पास 7.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन और सिंचाई के साधनों में कम से कम एक डीजल इंजन या बिजली से चलने वाला बोरवेल या ट्यूबवैल है।

2- Lor% lekos'k ¼tks ifjokj viu vki xjhch j[kk lph e 'kkfey gkxs½

निम्नलिखित वर्गो के परिवारों को गरीबी रेखा सूची में स्वतः समावेश यानी अपने आप ामिल किया जाएगा।

- ऐसे परिवार जिनके पास रहने को घर नहीं है।
- बेसहारा / भीख या दान पर निर्भर परिवार।
- मैला ढोने वाले परिवार।
- आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) जैसे— सहरिया, बैगा।
- कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

3- vHkko lpdk d vk/kkj ij 'k"k ifjokjk dh jfdx %

स्वतः बहि करण और अनिवार्य समावेश के बाद ो ा बचे परिवारों की रैंकिंग अभाव सूचकों के आधार पर की जाएगी। जिन परिवारों के ज्यादा अंक होंगे उन्हें गरीबी रेखा सूची में ामिल किया जाएगा। निम्नलिखित अभाव सूचकों के आधार पर परिवारों को गरीबी रेखा सूची में ामिल किया जाएगा।

1- ऐसा परिवार जिसके पास एक कमरे का मकान है जिसकी दीवारें और छत कच्ची है।

2- ऐसा परिवार जिसमें 16 से 59 व र् की उम्र का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

3- महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16 से 59 व र् की उम्र का कोई वयस्क पुरु ा नहीं है।

4- ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य विकलांग है और परिवार में vU; dkbZ 'kkjhfjd :i l सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।

5- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।

6- ऐसा परिवार जिसमें 25 व र् से अधिक उम्र का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

7- भूमिहीन परिवार जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा vkdfLed मजदूरी से आता है।

lekos'k dh ikFkfedrk

- जो परिवार स्वतः समावेश के योग्य हैं, उन्हें गरीबी रेखा सूची में ामिल करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- अभाव सूचकों के आधार पर योग्य परिवारों की रैंकिग करने के लिए हर परिवार को अभाव सूचकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे और जिन परिवारों को ज्यादा अंक मिलेंगे उन्हें गरीबी रेखा सूची में ामिल होने की पात्रता अधिक होगी। रैंकिंग के लिए यह स्कोर कम से कम 0 और अधिकतम 7 अंक होगा।
- योजना आयोग द्वारा निर्धारित परिवारों की संख्या और अभाव संकेतकों के आधार पर कट आफ विधि द्वारा प्राप्त परिवारों की संख्या में यदि कोई अंतर आए तो, ऐसी स्थिति में अभाव सूचकांक के कट आफ से एक अंक कम प्राप्त करने वाले परिवार को उस पंचायत से चिन्हित किया जाएगा जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है। इस हेतु राज्य द्वारा पंचायतों की सूची अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में तैयार की जाएगी। इस विधि के द्वारा जरूरत के किसी भी कट ऑफ पर पहुंचा जा सकता है।

xjhc ifjokjk dh tux.kuk 2011 dk fØ;kUo;u

- जनगणना का कार्य राज्य सरकार/ dnz 'kkflr izn'kk द्वारा xkeh.k fodkl मंत्रालय के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से संचालित किया जाएगा।
- जनगणना का कार्य भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) द्वारा उपलब्ध कराए गए कम लागत के हस्तचलित (हैन्ड हेल्ड) उपकरण के द्वारा किया जाएगा। बी.पी.एल. जनगणना 2011 के पूरे हो जाने के बाद ये मशीनें ग्रामीण विकास और अन्य कार्यक्रमों के लिए ग्राम पंचायत को दी जाएंगी।
- जनगणना उत्तरदाता की स्व घो ाणा के मॉडल पर आधारित होगी। ix.kd (सर्वेक्षक) उत्तरदाता द्वारा बताई गई जानकारियों को दर्ज करेगा। जहां उसे यह लगेगा कि उत्तरदाता द्वारा दिया गया जवाब प्रथम दृभटया ठीक नहीं है तो वह गणना फार्म में दिए गए स्थान पर अपनी टिप्पणी अलग से लिखेगा।
- सुपरवाइजर अनिवार्य रूप से इन घरों का भ्रमण करेगा और सूचना में भिन्नता की जांच करेगा। सुपरवाइजर भरी गई प्रश्नावली की निगरानी करने के साथ ही viuh bPNkuqlkj mudh सैम्पल आधार पर

—शेष पृष्ठ : 4 पर

राष्ट्रीय मंच की बहनों ने की सोनिया गांधी से मुलाकात

रा ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच द्वारा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ एकल महिलाओं के मुद्दों पर लॉबिंग की गयी, जिसके अन्तर्गत छ सदस्यों का समूह सोनिया गांधी से मिला।

इस बैठक के दौरान रा ट्रीय मंच के कार्य और अन्य राज्यों में एकल महिलाओं पर हो रहे कार्य के बारे में जानकारी दी गयी। एकल महिलाओं को डाकन/डायन कहकर प्रताडित करने के खिलाफ कानून बनाने, ादी के समय से पति की जमीन और सम्पति में संयुक्त नाम जुड़वाने, एकल महिलाओं को अनिवार्य रूप से बीपीएल में शामिल किया जाये, परित्यकता महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिये नीति बनाने, स्वास्थ्य सुविधाये दिलवाने और एकल महिलाओं से संबधित कार्य करने के लिये केन्द्र सरकार से फण्ड़ की सहायता करने की चर्चा की। सोनिया गांधी द्वारा महिला एवंम बाल विकास विभाग को एकल महिलाओं का मांग पत्र भेजा गया। 11 जुलाई 2011 को बाल विकास मंत्री श्रीमति कृ णा तीरथ द्वारा रा ट्रीय मंच के सदस्यों को मिलने का समय दिया गया, जिसमें राजस्थान से डा. जिनी श्रीवास्तव और हिमाचल प्रदेश से निर्मल चंदेल मंत्री जी से मिले। उन्होनें एकल महिलाओं के संबधित निम्न मांगें रखी –

- डाकन/डाकन कहकर महिलाओं पर अत्याचार करने के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिये। जिससे महिलाओं पर अत्याचार बंद हो सके क्योंकि महिलाओं को डाकन/डायन कहकर उन्हे प्रताडित किया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है यहां तक की उन्हे मार डाला जाता है।
- परित्यकता, छोडी गयी महिलाओं के लिये नीति बनायी जानी चाहिये, जिससे परित्यकता महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वर्तमान में उनके पास कोई सबूत नही है, जिससे वे साबित कर सकें कि उनके पति ने उन्हे छोड़ दिया है या किसी प्रकार की सहायता नही करते हैं।
- केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन राशि 200 रूपये से 500 रूपये या अधिक होनी चाहिये, जिससे राज्य में विधवा और परित्यकता महिलाओं को 1000 रूपये पेंशन राशि दी जा सकें।
- स्वास्थ्य पर खर्च अधिक होने से निम्न वर्ग की एकल महिलायें खर्च वहन नहीं कर सकती हैं, इसलिये उनके लिये स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा होनी चाहिये। जिससे एकल महिलायें दवाई व अन्य उपचार मुफ्त करवा सकें।
- महिलाओं को ादी के समय से पति की जमीन व सम्पति में बराबर का अधिकार होना चाहिये। जमीन व सम्पति दोनों के संयुक्त नाम से होनी चाहिये। आदिवासी महिलाओं को उनके पिता व पति दोनों की जमीन में अधिकार नहीं दियें जाते है। इनके लिये कार्य करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त एकल महिलाओं की अन्य समस्याओं व मंच के कार्यों के बारे में चर्चा हुयी। लॉबिंग के दौरान सोनिया गांधी और श्रीमति कृभणा तीरथ ने सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि रा ट्रीय मंच एक प्रस्ताव बनाकर उन्हें देगी, जिस पर वे फण्ड के लिये विचार करेंगे।

पृष्ठ–1 का शेष ... संस्थान द्वारा संचालित...

श्रीमती विद्या बंसल व एकल नारी शक्ति संगठन की कार्यकम समन्वयक श्रीमती चन्द्रकला शर्मा भी उपस्थित थे।

आमजन, स्वयं सेवी संस्थाओं व संस्थान पदाधिकारियों, संगठन कार्यकर्ताओं के समुचित सहयोग से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का सफल संचालन संभव हो सका है। केन्द्र के सफल संचालन हेतु सामुहिक रूप से केन्द्र को सहयोग मिलना चाहिए।

केन्द्र में आने वाली पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र में दो परामर्शदात्रियों को नियुक्त किया गया है। 1 अप्रेल 2011 से लेकर अब तक केन्द्र पर 241 महिलाओं की समस्याऐं सुनी गई व उनका निवारण करने हेतु उचित परामर्श के साथ–साथ उनकी सुरक्षा के लिए बनाये गये कानूनी अधिकारों से भी उनको अवगत करवाया गया है। इस प्रकार अब तक केन्द्र में 101 केसों को समझाईश के द्वारा सुलझाया गया व आपसी सहमती से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। इस प्रकार महिलाऐं अपने पति व परिवार का साथ पाकर सन्तुष्ट है। महिलाओं को केन्द्र पर आकर अपनी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है साथ ही उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है। इस प्रकार महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पर महिलाओं के लिए आगे भी उचित सलाह एवं परामर्श द्वारा उनकी समस्याओं के निवारण में सक्रिय भूमिका बनाये रखेगा।

lxBu dk c<+ jgk g dkjok

संगठन चाहता है कि राजस्थान व राजस्थान के बाहर भी हर जिले की महिलाऐं सशक्त हो और अपनी शक्ति को पहचाने ताकी उन्हें अधिक लाभ मिल सके और वे सशक्त होकर अपनी समस्याओं पर विजय पाऐं।

इसके लिये नये जिलों और ब्लॉकों का गठन किया जाता है। संगठन का विस्तार करते हुए इस बार 3 नये ब्लॉकों का गठन उदयपुर कलस्टर से तथा 2 नये ब्लॉकों का गठन कोटा कलस्टर के द्वारा किया गया। इन नये ब्लॉकों में भी अब संगठन द्वारा एकल, गरीब, विधवा व परित्यकता महिलाओं के साथ कार्य किया जायेगा।

उदयपुर कलस्टर में जोड़े गये ब्लॉकों में जिला बीकानेर से लुणकरणसर ब्लॉक का गठन दिनांक 29.05.2011 को किया गया जिसमें 65 संभागीयों ने भाग लिया, जिला पाली से जैतारण ब्लॉक का गठन दिनांक 11.6.2011 को किया गया जिसमें 400 संभागीयों ने भाग लिया, नागौर जिले से ढेगाणा ब्लॉक का गठन दिनांक 25.6.2011 को किया गया जिसमें 70 संभागियों ने भाग लिया।

इसी प्रकार कोटा कलस्टर में जोड़े गये ब्लॉकों में जिला भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक का गठन दिनांक 26.06.2011 को किया गया जिसमें 82 के लगभग संभागियों ने भाग लिया। इसी प्रकार दौसा जिले के सिकराय ब्लॉक का गठन दिनांक 7.7.2011 को किया गया जिसमें 75 के लगभग संभागियों ने भाग लिया।

इस प्रकार संगठन अब राजस्थान में 30 जिलों व 127 ब्लॉकों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

इसके लिए अलग–अलग ब्लॉकों में संगठन की बड़ी बैठकें रखी गई थी। यहां काफी महिलाओं ने अपनी सहभागिता बनाई। इन बैठकों में अलग–अलग समूह बनाकर प्रत्येक पंचायत से तीन–तीन ब्लॉक कमेटी सदस्यों का चुनाव किया तथा अगले माह होने वाली बैठक की तारीख तय की गई। अब इन ब्लॉकों में हर महीने अन्य ब्लॉकों के समान ही मासिक बैठकें आयोजित की जायेगी और इस तरह एकल महिलाओं की शक्ति को संगठित करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

यहां आई हुई महिलाओं को जानकारी देने के लिए संदर्भ व्यक्तियों को बुलाया गया था जिन्होंने महिलाओं को अपने विभाग से संबन्धित विभिन्न जानकारियां दी।

पृष्ठ–3 का शेष ... xjhch js[kk lo 2011 gr Hkkjr ljdkj---

जांच भी की जाएगी।

- जानकारी / आंकड़ों को ग्रामसभा द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया जाएगा।
- दावे और आपत्तियां लगाने एवं इनके निपटारे की प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।

अपनी आवाज 5

कविता

जमीर को जिन्दा रहने दो..

नारी की महिमा को तुम
अनन्त काल से गाते हो,
जीवन दान जिससे तुम पाते हो,
उसी को आज पथ की बाधा मान,
उसके महत्व को घटाते हो,
समझते हो यदि उसके प्राणों का दान,
तो उसके सम्मान को बना रहने दो,
उसके जमीर को जिन्दा रहने दो...
उसके सतित्व को बनाये रखने की,
उसके अस्तित्व को
जिन्दा रखने की बात करते हो,
तो उसके कोमल मन को क्यों खरोंचते हो, उसकी भावनाओं को क्यो मरोड़ते हो,
उसको सम्हालो, सहेजो और संवारो,
उसकी पवित्रता को बना रहने दो,
उसके जमीर को जिन्दा रहने दो...
जीवन में प्रत्येक रिश्ते को
जो आसरा देती है,
मरती है, मिटती है,
कई हिस्सों में बंट जाती है,
फिर भी अपने उत्तरदायित्वों का
निर्वाह करती है,
उसकी सुरक्षा का कुछ तो खयाल करो,
दर्द भरे अहसासों में
उसके मातृत्व को बना रहने दो।
उसके जमीर को जिन्दा रहने दो...
वास्तविकता के धरातल पर कदम रखकर,
जो करती है अपने सपनों को साकार,
उसे वक्त की रफ्तार में मत बहाओ,
कल्पना के रंग से
उसके मन को मत बहलाओ,
उसे अपनी हकीकत की दुनियां में
कदम रखने दो,
उसके जमीर को जिन्दा रहने दो...
दर्द के गहरे सागर में भी,
खुशियों की झोंपड़ी बनाकर
जो हंसी का चिराग जलाती है,
एक मुस्कान भर से अपने घर को
रोशन कर, अपना फर्ज निभाती है,
उसके अर्न्तमन को
उदास राहों में मत भटकने दो,
उसके जमीर को जिन्दा रहने दो।
- ज्योति सुवांलका, कोटा (राज0)

हिम्मत ही हथियार है मेरा-सरजू बाई
मैं सरजू बाई पत्नि स्व0 बाबरू मेघवाल
निवासी गांव लवागढ़, तहसील धरियावाद,
जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हॅू। पिछले
12 वर्षाें से एकल नारी शक्ति संगठन से
जुड़ी हुई व सक्रिय सदस्य हॅू।
मेरे पति की मृत्यु को 25 वर्ष हो चुके
हैं। मेरे 3 जेठ थे, जो आये दिन मुझे
परेशान करते और कहते कि अब यहां तेरा
कोई हक नहीं है, यहां से चली जा। वे
लोग मुझे घर से भी निकालना चाहते थे।
फिर भी मैं मेरे 4 छोटे-छोटे बच्चों का
लालन-पालन करती थी। लेकिन अब मैं
अपने आप को अकेली व बेसहारा मानने
लगी थी। हर दिन यही सोच आता था कि
कब मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा साथ देंगे।
ससुराल की धमकियां सुनते-सुनते मैं
बिल्कुल टूट चुकी थी। खाने-कमाने का
भी कोई साधन नहीं था। ना तो मेरे ससुराल
वाले मुझे जमीन में हिस्सा दे रहे थे और
ना ही मुझे खेती करने देते थे।
इसी समय मंै एकल नारी शक्ति संगठन
से जुड़ी। यहां आकर मुझे मेरी जैसी ही
अन्य बहनों का साथ मिला। धीरे-धीरे मैं
अपने दुख भूलने लगी और अब मुझमें
हिम्मत आने लगी थी। संगठन के कार्यक्रमांे
जैसे मिटिंग, प्रशिक्षण व सम्मेलन में जाकर
मेरी सोच हर दिन बढ़ने लगी। अब मैं
अपने अधिकारों को जानने लगी थी और
अपने ससुराल वालों के सामने अपने
अधिकारों को लेने के बारे मंे बात कर
सकती थी। मैं मेरी समस्याओं का समाधान
करने के साथ ही अन्य सदस्यों की भी
मदद करने लगी। अब मैं गांव से जिला व
अन्य राज्यों तक भी एकल महिलाओं का

हौंसला बढ़ाने जाती हॅू। अपने ब्लॉक के साथ अन्य 2 ब्लॉकों की भी जिम्मेदारी अभी मैं संभाल रही हॅू।
संगठन में रहकर मैंने जो हिम्मत पाई है उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहती हॅू:- कुछ दिनों पहले दिनांक 12 जून, 2011 को जब
मैं अरणोद ब्लॉक में बैठक करने गई थी तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हुए मुझे देर हो गई। रात होने के कारण मैं घर नहीं पहुंच सकती थी इसलिए मैंने एक होटल में कमरा बुक करवा लिया। जो कमरा होटल मेनेजर ने मुझे दिया था वो गंदा होने के कारण मैंने दूसरा कमरा ले लिया। आधी रात को होटल के कर्मचारीयों ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मेरे नहीं खोलने पर गाली गलौच करने लगे। पहले तो मैं डर गई थी कि यदि मैंने दरवाजा खोला तो ये कर्मचारी जो शराब के नशे में हैं मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अन्दर से ही जोर से बोली कि अभी पुलिस को बुलाती हॅू। मेरे पास पुलिस का नम्बर नहीं था इसलिए मैंने एक वकील साहब को फोन कर पुलिस के नम्बर मांगे। मैंने 100 नम्बर डायल किये और पुलिस को फोन कर सारी बात बताई व होटल का नाम व पता बताया। कुछ समय बाद ही पुलिस होटल में पहुंची और उन कर्मचारियों को धमकाया व पिटाई लगाई। उस रात मैं आराम से, बिना किसी डर के उसी होटल में रूकी। इस घटना का उदाहरण देकर मैं सभी बहनों को यह कहना चाहती हॅू कि चाहे कैसी भी परेशानी हो हमें अपनी हिम्मत का हथियार नहीं छोड़ना चाहिए। सभी समस्याओं का निडर होकर मुकाबला करना चाहिए।

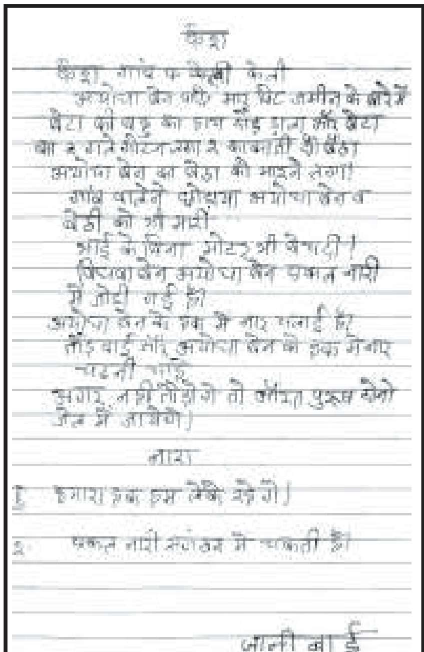

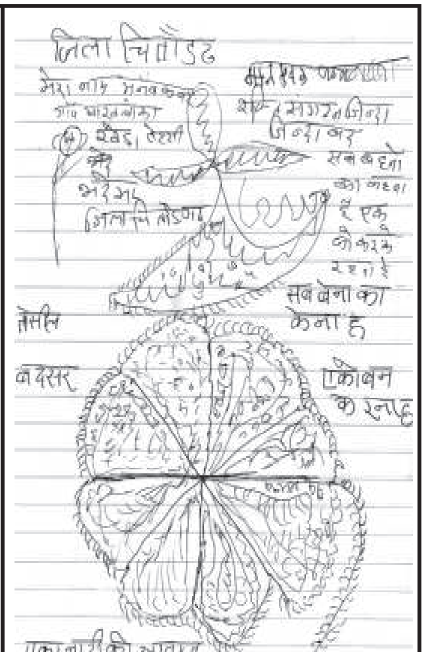

एकल नारी की आवाज़ 6

एकल नारी शक्ति संगठन के
सदस्यों की संख्या

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी
शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी
चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा
अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है
तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)
Qksu %0294&2451348 QSDl %0294&2451391

पता:-

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008
Qksu % 0744&2450726 QSDl % 0744&2329536

bZesy : astha39@bsnl.in
ईमेल रूमदेेऋावजं/लंीववण्बवण्पद
bZesy :ensskota@gmail.com.in
Web : www.widowseparatedwomen.org

क्र.सं. जिला ब्लॉक सदस्य
1. अजमेर 9 3858
2. राजसमंद 5 1830
3. सिरोही 3 824
4- Mwaxjiqj 5 908
5. बांसवाड़ा 6 576
6. उदयपुर 8 2725
7. भीलवाड़ा 6 1781
8. जोधपुर 5 903
9. नागौर 3 1584
10. जालोर 2 876
11. पाली 4 827
12. चित्तौड़गढ़ 4 735
13- Vksad 4 730
14. बारां 6 2060

15. बूंदी 4 1263
16. अलवर 3 870

17. सवाईमाधोपुर 5 894
18. जयपुर 4 1046
19. कोटा 6 1717
20. दौसा 4 1008
21. बाड़मेर 4 668
22. सीकर 3 503
23. चुरू 3 1893
24. झालावाड़ 5 2331
25. जैसलमेर 3 986
26. करौली 3 654
27. प्रतापगढ़ 4 566
28- Hkjriqj 3 321
29. बीकानेर 2 82
30 हनुमानगढ़ 1 51

127 35070

4 दिवसीय ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण में महिलाओं ने दिखाया जोश

एकल, गरीब, विधवा व परित्यकता महिलाऐं
ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण के माध्यम से
संगठन का महत्व व संगठन निर्माण की प्रक्रिया
को समझे व संगठन के ढांचे की जानकारी,
ब्लॉक कमेटी सदस्यों की भूमिका की जानकारी, पुलिस प्रक्रिया की जानकारी, विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी महिलाऐं प्राप्त

करें और अपनी सोच को बढ़ाऐ ताकी वे अपने आप को और सशक्त महसूस कर सके ताकी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। ऐसे उद्देश्यों को लेकर संगठन की ओर से इस बार दो स्थानों पर ब्लॉक कमेटी प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने बड़े ही जोश के साथ भाग लिया।
इस क्रम में प्रथम प्रशिक्षण 29 मई से
1 जून 2011 को सिन्धु सागर धर्मशाला, बांसवाड़ा में आयोजित किया गया जिसमें घाटोल, कुशलगढ़, तलवाड़ा, पीपलखूंट, आनन्दपुरी, बागीदोरा ब्लॉकों से कुल 52 संभागियों ने भाग लिया। इसी क्रम में दूसरा प्रशिक्षण 7 से 10 जून 2011 को राम रोटी अन्न क्षेत्र ट्रस्ट डूंगरपुर में आयोजित किया गया जिसमें डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, गढ़ी और आसपुर से 85 संभागियों ने जोश के साथ भाग लिया।
‘‘हम अपना अधिकार जानते, नहीं किसी
से भीख मांगते‘‘, ‘‘बेहना चैत सके तो चैत जमानों आयो चैतन को‘‘ जैसे गीत व नारों के साथ वातावरण निर्माण कर प्रशिक्षण की शुरूआत की गई और फिर बहनों ने अपना परिचय दिया। प्रशिक्षण में बहनों को संगठन के उद्देश्य बताये गये व उनसे अपेक्षाऐं पूछी गयी। समूह के माध्यम से सभी ब्लॉक कमेटी सदस्यों की समस्याऐं निकलवायी गई। जिनमें समय पर पेंशन न मिलना, चयनित में नाम नहीं होना, नरेगा में पूरी मजदूरी नहीं मिलना इसके अलावा पारिवारिक समस्याऐं थी।
इनमें से मुख्य को निकाल कर उन
समस्याओं के समाधान के लिए प्रशिक्षण में

पधारे संदर्भ व्यक्तियों ने विभिन्न समाधान बताये और जानकारियां दी गई। इसी क्रम में बांसवाड़ा प्रशिक्षण में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से शकील अहमद ने एकल महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विधवा-वृद्धा पेंशन, सहयोग योजना, विधवा पुत्री विवाह, बीपीएल परिवार

एवं पालनहार योजनाओं की जानकारी दी।
जागरण संस्था से आये संदर्भ व्यक्ति बाबू
लाल खमेसरा द्वारा स्वास्थ्य पर जानकारी देते हुए कई बीमारियों के घरेलू नुस्खे बताये। बागड़ मजदूर किसान संगठन से श्रीमती अनिता द्वारा रोजगार गारन्टी कानून की जानकारी दी व विधवा महिलाऐं किस प्रकार इस योजना से जुड़ सकती है व आवेदन कर सकती है, इसके बारे में बताया।
अंतिम दिन महिला थाना व महिला सुरक्षा
एवं सलाह केन्द्र का भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के दौरान एसआई मोतीसिंह चौहान द्वारा थाने की कार्यप्रणाली समझायी गई व किस प्रकार महिलाऐं अपनी समस्याओं में थाने से सहयोग ले सकती है? इसी के साथ बहनों ने थाने में एफआईआर की प्रक्रिया व भरण पोषण की जानकारी ली।
डूंगरपुर में आयोजित 7 से 10 जून
2011 के प्रशिक्षण में सहायक अभियन्ता दिनेश जी ने सम्भागियों को रोजगार गारन्टी कानून की जानकारी दी। एडवोकेट कान्ति शंकर शुक्ला द्वारा घरेलू हिंसा कानून, भरण पोषण कानून व महिलाओं का जमीन सम्पत्ति में अधिकार की जानकारी दी। आखिरी दिन महिलाओं को कोतवाली थाने का भ्रमण करवाया गया। वहां सब इन्सपेक्टर किशन लाल जी ने थाने से संबंधित जरूरी जानकारी दी।
रात्रि सत्रों में शिक्षाप्रद रोल-प्ले प्रस्तुत
किये गये व रीति रिवाज परिवर्तन करने हेतु
सभी बहनों ने मेहन्दी लगाई और बिन्दी
लगाई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर
महिलाओं ने जोर-शोर से गीत गाये व नारे
लगाये।

प्रशिक्षण में महिलाओं को जानकारी देते हुए संदर्भ व्यक्ति व गीत गाती हुई संगठन सदस्याऐं